न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **08/2018** अपील (राजस्व)

श्री माना पिता तेजा डांगी, निवासी गॉव सापेटिया, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील बनाराजगी निर्णय न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर
प्र.सं. 08/17 दिनांक 05.03.2018

उपस्थित : श्री श्यामलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—03.07.2018

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बड़गॉव के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की माता श्रीमती भागु बाई पत्नि श्री तेजा डांगी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की हैं। वसीयत के अनुसार श्रीमती भागुबाई के नाम दर्ज कृषि भूमि को उसके स्वर्गवास के बाद अपने नाम दर्ज करने का निवेदन किया। श्रीमती भागुबाई द्वारा की गई वसीयत के अनुसार आराजी संख्या 41 से 44, 47, 49, 433, 535 कुल किता 8 रकबा 0.5650 एवं आराजी संख्या 119 से 121 कुल किता 3 रकबा 0.2800 में से वसीयतकर्ता ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने पुत्र माना पिता तेजा डांगी को वसीयत कर दिया। तहसीलदार बड़गॉव ने उक्त प्रकरण दर्ज करके वसीयत के गवाह एवं श्रीमती भागुबाई के सभी वारीसान को जरिये सूचना पत्र तलब किया।

वसीयत के दोनो ही गवाह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान कलमबद्ध करवाये एवं दोनो ही गवाह ने वसीयत की ताईद की एवं अन्य वारिसान सूचना पत्र से तलब होने के बावजूद अनुपस्थित रहे। जिसके बाद न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.03.18 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कयासो के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे उक्त वसीयत को अन्तिम वसीयत नहीं माना जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने सभी वारीसान को सूचना पत्र से तलब किया जो वारिसान को प्राप्त हो गये, लेकिन वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन न्यायालय ने वारिसान की अनुपस्थित होने से उक्त निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध कर दिया जो गलत एवं विधि के सिद्धांतो के विपरीत हैं। न्यायालय तहसीलदार द्वारा वारिसान को सूचना पत्र तलब होने के बाद अनेक अवसर न्यायालय में उपस्थित होने के दिये गये, फिर भी वारिसान उपस्थित नहीं हुए तो न्यायालय वारिसान उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो न्यायोचित नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत जाकर अपना मत रखा है, जबकि उक्त वसीयत के दोनो ही गवाह ने वसीयत की पुष्टि की है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के सिद्धांतो के विरूद्ध जाकर निर्णय दिया जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना कि पैतृक सम्पत्ति में वारिसान को बिना सूने वसीयतग्रहिता माना पिता तेजा डांगी के नाम सम्पत्ति दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं लगता है जबकि न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता के वारिसो को सूचना पत्र प्रेषित किये गये जो वारिसो को प्राप्त हो गये, लेकिन उक्त वसीयत बाबत किसी भी वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होने से वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और नाही कोई आपत्ति पेश की, यदि किसी भी वारिसान को कोई आपत्ति होती तो वे अवश्य न्यायालय में आपत्ति पेश करते। वसीयत का रजिस्टर्ड होना कानुनन आवश्यक नहीं हैं। वसीयत के दोनो ही गवाह द्वारा वसीयत की

पुष्टि कर देने से ही वसीयत सही मानी जायेगी। अधिनस्थ न्यायालय ने उपस्थित दोनो ही गवाहो ने वसीयत की पुष्टि की, फिर भी वसीयत के प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जो विधि के विपरीत खारिज किया गया हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव के निर्णय दिनांक 05.03.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर वसीयतकर्ता की कृषि भूमि को वसीयतग्रहिता/अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण करने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट की माता श्रीमति भागुबाई पत्नि श्री तेजा जी डांगी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की हैं। वसीयत के अनुसार भागुबाई के नाम पर दर्ज भूमि उनके स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो चुका हैं। परन्तु राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायलय में प्रस्तुत किया गया है जिसे खारीज कर दिया गया। जबकि भागुबाई के अन्य किसी भी वारीसान को इस वसीयत पर कोई आपत्ति नहीं हैं। वसीयत में अंकित गवाहानो द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में अपने बयान के आधार पर वसीयत की सत्यता की पुष्टि की गई हैं। जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया हैं। मात्र कयासो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.18 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए यह निर्देश प्रदान करें कि वसीयत के आधार पर वसीयतकर्ता भागुबाई के नाम पर दर्ज भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज की जावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा निवेदन किया कि वसीयतकर्ता स्वर्गीय भागु बेवा तेजा डांगी द्वारा निष्पादित वसीयत में अंकित भूमि पैतृक सम्पत्ति रही हैं। वसीयतकर्ता भागू बेवा तेजा डांगी द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत से केवल भूमि अपने पुत्र माना पिता तेजा डांगी के नाम ही की गई हैं। जबकि वसीयतकर्ता की जायन्दा पुत्रियॉ भी पुश्तैनी सम्पत्ति की हकदार हैं। मात्र न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके अधिकारो को समाप्त नहीं किया जा सकता हैं। मात्र गवाहो के बयानात के आधार पर अन्य वारिसानो का हक अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रस्तुत अपील विधि के विपरीत होने से निरस्त फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.03.18 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का सापेटिया को जॉच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। पटवारी हल्का से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में वसीयत की गई सम्पत्ति पैतृक होना बताया। तीन वारीस होना बताया गया। परन्तु वसीयतकर्ता स्वर्गीय श्रीमती भागुबाई के नाम किस प्रकार से प्राप्त हुई, उसका रिपोर्ट में अभाव हैं। अपीलार्थी को भी यह चाहिये था कि यदि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसकी वसीयत की गई है तो श्रीमती भागुबाई के सभी विधिक वारीसानो की सूची मय नाम पते के अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। कानुनन कोई भी व्यक्ति अपने हक हिस्से से अधिक सम्पत्ति का बैह बक्षीस दान वसीयत नहीं कर सकता हैं। हस्तगत प्रकरण में यह देखा जाना भी आवश्यक है कि स्वर्गीय भागुबाई द्वारा निष्पादित वसीयत में वसीयतगृहिता के पक्ष में की गई वसीयत की सम्पत्ति वसीयतकर्ता भागुबाई को कैसे प्राप्त हुई उसकी भी जॉच अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई हैं। प्रकरण में अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर विस्तृत जॉच की आवश्यकता हैं। साथही स्वर्गीय भागुबाई के प्रथम श्रेणी के वैध वारीसानो को सुना जाना भी आवश्यक हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव के प्रकरण संख्या 08/17 निर्णय दिनांक 05.03.18 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्वर्गीय श्रीमती भागुबाई के सभी वैध वारीसानो को सुने, उनके बयान कलमबद्ध करे एवं वसीयत में अंकित भूमि की विस्तृत जॉच करावें। बाद जॉच विधि में प्रदत्त नियमो के तहत नये सीरे से विस्तृत आदेश पारित करें।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर